

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)
आदेश


कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये सरकार से सामान्य घटक के अधीन मो0-2076000/- (बीस लाख छिहत्तर हजार) रुपये एवं विशेष घटक के तहत मो0-693000/- (छः लाख तैरानव हजार) रुपये RTGS से प्राप्त हुआ है, उक्त प्राप्त राशि को निम्नतालिका के अनुरूप सभी प्रखण्डों, नगर निगम, मुंगेर नगर परिषद् जमालपुर एवं नगर पंचायत खडगपुर को उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही राशि के व्यय के संबंध में अपर सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 2010 दिनांक 27.08.2014 से प्राप्त दिशा निदेश की छाया प्रति संलग्न है।

क्र0	प्रखण्ड एवं नगर निकाय का नाम	सामान्य घटक में उपलब्ध राशि	विशेष घटक में उपलब्ध राशि	कुल उपलब्ध राशि
1	2	3	4	5
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर	117000.00	78000.00	195000.00
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमालपुर	90000.00	30000.00	120000.00
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर	132000.00	33000.00	165000.00
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धरहरा	117000.00	39000.00	156000.00
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खडगपुर	162000.00	108000.00	270000.00
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टेटियाबम्बर	63000.00	21000.00	84000.00
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारापुर	108000.00	36000.00	144000.00
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर	90000.00	30000.00	120000.00
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, असरगंज	63000.00	21000.00	84000.00
10	नगर आयुक्त, मुंगेर	540000.00	135000.00	675000.00
11	कार्यपालक पदा0 नगर परिषद्, जमालपुर	432000.00	108000.00	540000.00
12	कार्यपालक पदा0 नगर पंचायत, खडगपुर	162000.00	54000.00	216000.00
	कुल	2076000.00	693000.00	2769000.00

- बी0पी0एल0 परिवार के किसी भी उम्र के सदस्य की स्वभाविक या आकस्मिक रूप से मृत्यु की स्थिति में अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न कराने के निमित्त 3000.00 (तीन हजार) रुपये नगद भुगतान का प्रावधान है।
- उपलब्ध करायी जा रही राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 2010 दिनांक 27.08.2014 के आलोक में किया जाय। पत्र की प्रति संलग्न। पत्र में उल्लेखित दिशा निदेश का पालन किया जाय।
- कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के अन्तर्गत पूर्व में उपलब्ध करायी गई राशि तथा वर्तमान में उपलब्ध राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में शीघ्र भेजना सुनिश्चित किया जाय, ताकि ससमय सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा सके।


इस संबंध में आपको आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त उपलब्ध राशि का चेक प्राप्त करने हेतु अपने नाजिर/कैशियर को नाजिर रसीद के साथ पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर में प्रतिनियुक्त करें।

अनुलग्नक:- यथोक्त।


 जिलाधिकारी,
 मुंगेर।

झापाक ५७४/सा०सु०को०, दिनाक २०-१०-१५

- प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त, नगर लिगमे, मुंगेर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमालपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत खडगपुर एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, खडगपुर, एवं तारापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- नाजिर, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।


20-10-14
जिलाधिकारी,
मुंगेर।